न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 51/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. दीनदयाल पुत्र लालाराम जाति जाट
2. मनीषा पुत्र दीनदयाल एवं श्रीमती बती
3. जयन्त पुत्र दीनदयाल एवं श्रीमती बती

क्रमांक 2 व 3 नाबालिगान जर्ये माता व सरपरस्त श्रीमती बती जाति जाट निवासीयान ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटान

बनाम

1. मनीषा पुत्री दीनदयाल जाति जाट नाबालिग
2. प्रभा पुत्री दीनदयाल जाति जाट नाबालिग

जर्ये सरपरस्त मु0 विमलेश माता खुद निवासीयान ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पोडेन्ट

3. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0।
4. ग्राम पंचायत सौंख पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर राज0।

..... तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 118, 873, 285, 235/2629, 235/2630, 959, 960, 961/2524, 962, 958, 91/119, 21/2398, 22/2401, 1600, 124, 125, 152, 219, 222, 232, 236, 244, 251/2404, 257/2406, 270, 795/2555, 839/2557, 872 ग्राम सौंख तहसील कठूमर जिला अलवर में स्थित है। जिसकी बाबत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

असल रेस्पो0 ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक आदि का तहत अदालत में पेश किया हुआ है। जिस वाद के साथ असल रेस्पो0 ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी लालाराम पुत्र सांवलिया को विरासत में प्राप्त हुई संपत्ति तथा आराजीयात की कमाई से बाद में अर्जित की हुई संपत्ति है। लालाराम संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान था। गैरसायल संख्या 1 दीनदयाल की शादी सायलान की मां विमलेश के साथ हुई थी। पहले की पत्नी कमला मर गई थी तथा सायलान गैरसायल दीनदयाल की पुत्री व लालाराम की पौत्री है तथा सायलान दीनदयाल की जायज संतान है। विवादित आराजी में सायलान को जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।गैरसायल संख्या 2 व 3 लालाराम के परिवार के सदस्य नही हैं। मु0 बती से गैरसायल संख्या 1 की शादी नही हुई, हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार एक पत्नि के जीवित रहते हुये दूसरी शादी मान्य नही है तथा विवादित पैतृक आराजी की आय से लालाराम ने काश्तकारी की जमीन और खरीद की थी जो लालाराम के नाम दर्ज चली आ रही है।विवादित आराजी में लालाराम के हिस्से में से 1/6 हिस्सा गैरसायल संख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गैरसायल शकुन्तला के तीन लडकों का 1/6 हिस्सा बाकी 1/6 हिस्सा में दीनदयाल एवं सायलान का है।लालाराम ने पैतृक जायदाद की आय से कुछ जमीन दीनदयाल के नाम कर दी। इस प्रकार मृतक लालाराम के नाम दर्ज आराजीयात में सायलान का जन्म से ही अधिकार प्राप्त है।सायलान विवादित आराजी में लालाराम के हिस्से में से 2/3 हिस्सा की घोषणा कराने का अधिकारी है। गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दीगर लोगों को रहन बय करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 31.05.2018 पारित कर अपीलांट गैरसायलान को पाबन्द किया गया है। जिस आदेश दिनांक 31.05.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायलान अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है जिस इन्द्राज को न मानने का कोई कारण नही है। कानूनन एक खातेदार काश्तकार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। सायलान ने विवादित आराजी को लालाराम की पैतृक आराजी होना कथन किया है परन्तु पैतृक आराजी का कोई रिकार्ड सायलान द्वारा प्रस्तुत नही किया। सायलान का विवादित आराजी पर कोई कब्जा किसी भी हैसियत से नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा न होते हुये भी स्थगन आदेश जारी किया है जो कानूनन गलत है। विवादित आराजी लालाराम की खरीदशुदा आराजी है जिसने इस आराजी की स्वेच्छापूर्वक वसीयतनामा अपीलांट संख्या 2 व 3 के हक में दर्ज व तस्दीक हो चुका है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है। विवादित आराजी के सह खातेदार काश्तकार रामश्री, रामवती, चित्रा, चन्दा तथा राजेश, मन्नू, हरकेश का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है, उनको पक्षकार नही बनाया गया है तथा हिस्से पर भी स्थगन आदेश जारी करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

रेस्पो0 अनुपस्थित। हमने विद्वान की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 31.05.2018 का अवलोकन किया ।

अपीलांट गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र में सजरा को गलत साबित नही किया है। आदेश 08 नियम 05 में इस प्रकरण से सबंधित विशिष्ट प्राख्यापन नही किया जाता तब तक एडमिशन माना जायेगा। विवाद पुत्रियों व पिता के मध्य है। हिन्दू कानून के अनुसार एक व्यक्ति को जन्म के साथ ही पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार मिल जाता है। व्यक्ति अपने पिता के जीवित रहते हुये भी पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकता है। वाद में साक्ष्य से साबित होगा कि जमीन कयशुदा है या विरासत की। उसकी संतानें कौन–कौन हैं? अभी मुख्य रूप से हकों के निर्धारण तक विवादित आराजीयात को सुरक्षित रूप में बनाये रखा जाना है ताकि वादों की बहुलता ना हो। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा विवेकपूर्ण एवं साम्यकता के आधार पर निर्णय पारित किया है। जिसमें यह न्यायालय हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही समझता है।इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 31.05.2018 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
26.11.19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)